

न्याय

आदेश नमक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बहेड़ी
वाद संख्या :- 02669/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201812130502669
मो० इकराम खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्याय निर्णय

उक्त वाद में श्री इकराम द्वारा धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में श्री मो० इकराम ने कहा है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350 है० पर शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाया जा रहा है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित किया जायें।

इस प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच करायी गयी। जाँच आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने अंकित किया है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350 है० पर शिक्षार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक करने हेतु आख्या प्रेषित की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी की प्रति, खसरा व स्थल का फोटो व जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार एक प्रतिष्ठ 16,500/- रु० राजकीय कोष में जमा किये जाने के उपरान्त घालान की मूल प्रति प्रस्तुत किये है।

नायब तहसीलदार बहेड़ी ने आख्या में अंकित किया है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350 है० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त रकबे में आला हजरत डिग्री कालेज देवरनियों के शिक्षण कक्षा का निर्माण किया जा रहा है। भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है। उक्त गाटा को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है। उक्त आख्या को तहसीलदार बहेड़ी द्वारा सम्प्रेषित की है।

अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

आदेश हुआ कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के खतौनी र्व फसली 1424-1429 के खाता संख्या 00331 के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350 है० को धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अंतर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:- 13-07-18

ju
उप जिलाधिकारी
बहेड़ी, बरेली।



अतः अतिरिक्त न्याय

पृष्ठ संख्या :

ju
अतिरिक्त न्याय